



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1050]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2011/ज्येष्ठ 11, 1933

No. 1050]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2011/JYAISTHA 11, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 जून, 2011

का.आ. 1254(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ.1004(अ), तारीख 5 मई, 2011 में, जो उसी तारीख को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित हुई थी, पृष्ठ 1 पर, पंक्ति 2 और 3 में “इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए” के स्थान पर “उनके पद धारण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए” पढ़ें।

[फा. सं. 17/11/2011-पीएल/एनजीटी]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st June, 2011

S.O. 1254(E).—In the notification of the Ministry of Environment and Forests, Government of India, number S.O. 1004(E), dated the 5th May, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the same date, at page 1, in line 3, for “with effect from the date of publication of this notification for a period of five years”, read “for a period of five years from the date on which they enter upon their office”.

[F.No. 17/11/2011-PL/NGT]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 1 जून, 2011

का.आ. 1255(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1005(अ), तारीख 5 मई, 2011 में, जो उसी तारीख को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित हुई थी, पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 2 और 3 में “इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए” के स्थान पर “उनके पद धारण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए” पढ़ें।

[फा. सं. 17/11/2011-पीएल/एनजीटी]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st June, 2011

S.O. 1255(E).—In the notification of the Ministry of Environment and Forests, Government of India, number S.O. 1005(E), dated the 5th May, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the same date, at page 2, in line 3, for “with effect from the date of publication of this notification for a period of five years”, read “for a period of five years from the date on which they enter upon their office”.

[F.No. 17/11/2011-PL/NGT]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.